अध्याय-VII: कर-इतर प्राप्तियाँ

7.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार के कर-इतर राजस्व में मुख्य रूप से ब्याज, खानों एवं खनिजों, विविध सामान्य सेवायें, जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण कार्य, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वन और वन्य जीव से प्राप्तियाँ समाविष्ट हैं। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान संग्रहित कुल राजस्व एवं कर-इतर राजस्व निम्नानुसार था:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य द्वारा संग्रहित कुल राजस्व	राज्य का कुल कर-इतर राजस्व	कर-इतर राजस्व की कुल राजस्व से प्रतिशतता
2008-09	18,832.21	3,888.46	20.6
2009-10	20,972.49	4,558.22	21.7
2010-11	27,053.20	6,294.12	23.3
2011-12	34,552.15	9,175.10	26.6
2012-13	42,636.24	12,133.59	28.5

मार्च 2013 को समाप्त पांच वर्ष की अवधि में कर-इतर राजस्व के हिस्से में कुल राजस्व की तुलना में निरन्तर वृद्धि हुई, जिसका कारण क्रूड आयल पर अधिशुल्क की प्राप्ति था।

7.2 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को खनन प्राप्तियों (खनिजों का अवैध खनन व निर्गमन को छोड़कर) से राजस्व की बकाया राशि ₹ 451.84 करोड़ थी जिसमें से ₹ 72.11 करोड़ पाँच से अधिक वर्षों से बकाया थे। निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2013 को राजस्व की बकाया की स्थिति दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का वर्ष	01 अप्रेल 2012 को कुल बकाया	वर्ष 2012-13 के दौरान वसूल की गई राशि	31 मार्च 2013 को बकाया राशि
2007-08 तक	74.50	2.39	72.11
2008-09	79.82	2.67	77.15
2009-10	96.49	3.55	92.94
2010-11	107.22	5.72	101.50
2011-12	134.56	26.42	108.14
योग	**492.59**	**40.75**	**451.84**

पाँच वर्ष व अधिक समय से बकाया राजस्व ₹ 72.11 करोड़ की वसूली के प्रयास किये जावें अन्यथा सरकार को देय राशि की वसूली नहीं हो सकेगी।

यह अनुशंषा की जाती है कि बकाया की वसूली के लिए सरकार समुचित कार्यवाही करे।

7.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

पिछले पांच वर्षो के दौरान, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से 71 अनुच्छेदों में ₹ 1422.70 करोड़ के अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, राजस्व का कम निर्धारण/हानि, कर की गलत दर का लगाना, कर की गलत गणना आदि के प्रकरणों को इंगित किया गया था। उनमें से 48 अनुच्छेदों के लेखापरीक्षा आपत्तियों में समावेशित ₹ 361.66 करोड़ को विभाग/सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और 29 अनुच्छेदों में ₹ 31.27 करोड़ की अब तक (दिसम्बर 2013) वसूली की जा चुकी है जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार्य अनुच्छेद		वसूल की गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	अनुच्छेद की संख्या	राशि
2007-08	10	275.30	10	23.86	6	4.60
2008-09	27	259.67	19	22.46	16	18.82
2009-10	6	410.16	5	276.67	2	4.74
2010-11	13	158.00	4	1.24	3	0.67
2011-12	15	319.57	10	37.43	2	2.44
योग	**71**	**1422.70**	**48**	**361.66**	**29**	**31.27**

स्वीकार्य राशि की तुलना में वसूल की गई राशि काफी कम है। विभाग ने अवगत कराया कि कुछ प्रकरणों में वसूली न्यायाधिकारियों द्वारा स्थगित थी, जबकि दूसरे प्रकरणों में, इनकी मांग वसूली के विभिन्न स्तरों पर बकाया थी। सरकार को उसके द्वारा स्वीकार किये गये प्रकरणों की समीक्षा कर शेष राशि ₹ 330.39 करोड़ की वसूली के लिये प्रयास करने चाहिये।

7.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्य प्रणाली

आन्तरिक लेखापरीक्षा एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि विभागीय संक्रियाओं का संचालन प्रचलित कानूनों, विनियमों एवं अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी ढंग के साथ किया जा रहा है और अधीनस्थ कार्यालय विभिन्न प्रकार के अभिलेखों, पंजिकाओं/लेखा पुस्तिकाओं का उचित एवं सही ढंग से संधारण कर रहे हैं एवं राजस्व संग्रहण का अभाव/कम संग्रहण या अपवंचना के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि लगभग सभी खनिज इकाईयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा 2004-05 से बकाया थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा के अभाव में विभागीय प्राधिकारी व्यवस्था में कमजोरी के प्रति अनभिज्ञ रहे, जिसके कारण राजस्व की छीजत/अपवंचना हुई। यह प्रकरण नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011-12 में भी इंगित किया गया था। फिर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

7.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

खान एवं भू-विज्ञान विभाग और पेट्रोलियम विभाग की वर्ष 2012-13 के दौरान की गई मापक जाँच में 4,716 प्रकरणों में ₹ 1,071.58 करोड़ राशि के राजस्व अवसूली/कम वसूली के प्रकरण सामने आये, जो मुख्यत: निम्न श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	अनधिकृत उत्खनन	1,206	710.32
2.	स्थिर भाटक एवं अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली	530	162.21
3.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	558	20.08
4.	धरोहर राशि का जब्त न करना	16	2.67
5.	अन्य अनियमिततायें	2,406	176.30
योग		**4,716**	**1,071.58**

वर्ष 2012-13 के दौरान, विभागों ने 2,803 प्रकरणों में ₹ 126.75 करोड़ की कम वसूली एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 91.66 करोड़ के 498 प्रकरण वर्ष 2012-13 के दौरान एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभागों ने 1,597 प्रकरणों में ₹ 11.28 करोड़ की वसूली की, जिसमें से ₹ 0.85 लाख के 75 प्रकरण चालू वर्ष की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित थे तथा अन्य शेष पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित थे।

कुछ निदर्शी लेखापरीक्षा आपत्तियां जिनमें ₹ 96.04 करोड़ सन्निहित हैं, अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेखित किये गये हैं।

खान एवं भू-विज्ञान विभाग और पेट्रोलियम विभाग

7.6 लेखापरीक्षा टिप्पणियां

खान एवं भू-विज्ञान विभाग और पेट्रोलियम विभाग के अभिलेखों की मापक जाँच में अनेक मामलों में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं होना, शासकीय आदेशों/प्रक्रियाओं की अवहेलना तथा अन्य अनियमितताओं के मामलों का पता चला जिनमें से कुछ प्रकरणों का इस अध्याय के अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। ऐसी कुछ त्रुटियां प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लायी जाती हैं, तथापि ये अनियमितताएँ न केवल विद्यमान रहती हैं बल्कि आगामी लेखापरीक्षा होने तक भी इनका पता नहीं चलता है। सरकार को विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

7.7 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना का अभाव

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज रियायत नियम, 1960, खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 तथा मार्बल विकास एवं संरक्षण नियम, 2002 में निम्नानुसार प्रावधान हैं:

(क) निर्धारित दरों पर अधिशुल्क का आरोपण;

(ख) अवैध रूप से उत्खनित/निर्गमित खनिजों की कीमत का आरोपण;

(ग) विलम्ब से किये गये भुगतानों पर ब्याज का आरोपण;

(घ) पट्टे जारी करना; तथा

(ड़) खनिजों का संरक्षण।

खनि अभियन्ताओं/सहायक खनि अभियन्ताओं एवं विभागीय प्राधिकारियों के द्वारा अनुच्छेद 7.7.1 से 7.7.12 में उल्लेखित प्रकरणों में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप अधिशुल्क की कम/अवसूली, खनिज कीमत की कम/अवसूली तथा ब्याज का अनारोपण हुआ।

7.7.1 खनन पट्टे का अवैध रूप से उप-किरायेदारी पर देना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 15(1)(बी) के अनुसार पट्टेधारी सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति के बिना किसी ऐसे करार, संविदा या समझौते को नहीं करेगा या शामिल नहीं होगा, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पट्टेधारी के लिये सारभूतरूप से वित्तीय व्यवस्था करना अथवा पट्टेधारी के कार्यकलापों या उपक्रम का सारभूत नियंत्रण पट्टेधारी के अतिरिक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जा सके। इस प्रकार किसी पट्टे में बिना किसी पूर्वानुमति के खनन अधिकारों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से वर्जित है।

इन नियमों के नियम 48(5) में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति बिना विधिक प्राधिकार के कोई खनिज किसी भूमि से उत्खनित करता है और ऐसा खनिज निर्गमित कर देता है या उपयोग में ले लेता है तो सम्बन्धित अधिकारी ऐसे उत्खनित खनिज पर देय अधिशुल्क के साथ-साथ खनिज की कीमत वसूल कर सकेगा, जो प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के दस गुणा के बराबर होगी।

कार्यालय खनि अभियन्ता, सीकर के अभिलेखों की मापक जाँच में यह पाया गया (जुलाई 2012) कि खनिज चुनाई पत्थर के छः खनन पट्टे (खनन पट्टा संख्या 46/99, 47/99, 64/99, 608/07, 609/07 एवं 610/07) गांव रायपुर चिहाला के पास, तहसील दाँतारामगढ़, बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये तीन पट्टेधारियों को अवैधरूप से (जून 2009) उप-किराये पर दिये गये। खनि अभियन्ता द्वारा तीन खनन पट्टे (खनन पट्टा संख्या 46/99, 47/99 व 64/99) के अवैध रूप से उप-किरायेदारी पर देने के कारण, नवीनीकरण का निवेदन अक्टूबर 2010 में निरस्त/अस्वीकृत कर दिया। किन्तु खनि अभियन्ता द्वारा जून 2009 से अक्टूबर 2010 के मध्य बिना वैध प्राधिकार के निर्गमित 23,945 मैट्रिक टन खनिज की कीमत राशि ₹ 31.13 लाख की मांग कायम नहीं की गयी। खनि अभियन्ता द्वारा बाकी बचे हुए तीन खनन पट्टों (खनन पट्टा संख्या 608/07, 609/07 एवं 610/07) का कब्जा लेने हेतु समय पर कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई, परिणामतः खनन पट्टेधारकों द्वारा लगातार जून 2009 से मार्च 2012 तक अवैध खनन कर ₹ 2.10 करोड़ की कीमत का 1,01,734 मैट्रिक टन खनिज निर्गमित कर दिया गया।

प्रकरण (जुलाई 2012) ध्यान में लाये जाने पर खनि अभियन्ता ने (जुलाई 2012) अवगत कराया गया कि ₹ 84.38 लाख की मांग कायम कर दी गयी है एवं चूककर्ता खनन पट्टेधारियों के खिलाफ जिन्होंने जून 2009 से मार्च 2012 के मध्य खनन कर खनिज का निर्गमन किया था, शेष मांग कायम करने की कार्यवाही से जांच के उपरान्त लेखा परीक्षा को अवगत कराने को कहा।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त 2012) किया गया। सरकार ने (दिसम्बर 2013) अवगत कराया कि वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है, जिसकी प्रगति से अवगत करा दिया जावेगा।

7.7.2 खनिज संरक्षण के प्रावधानों की पालना का अभाव

खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 22 ए(1) तथा खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के नियम 9 के अनुसार कोई भी व्यक्ति खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2)(बी) के अन्तर्गत खनन योजना का अनुमोदन कराये बिना किसी क्षेत्र में खनन कार्य प्रारंभ नहीं करेगा। खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के नियम 16 के अनुसार खनन कार्य के दौरान निकाले गये मलबे (ओवरबर्डन) एवं व्यर्थ खनिज को गैर विक्रय योग्य एवं निम्न श्रेणी के अयस्क/खनिज के साथ नहीं मिलाया जायेगा तथा उनको पृथक रूप से संग्रहित किया जायेगा। खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के अनुसार अवैध रूप से खनिज का उत्खनन/निर्गमन करने पर अधिशुल्क सहित खनिज की कीमत वसूली की जायेगी।

कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमन्द II के प्रधान खनिज खनन पट्टों की रियायत पत्रावलियों एवं निर्धारण पत्रावलियों/ विवरणियों की मापक जाँच में यह ध्यान में आया कि (मार्च 2013) दो खनन पट्टाधारियों (मै. उषा लाईम एण्ड सीमेन्ट प्रा0 लि0 एवं मै. अपेक मिनरल्स इण्डस्ट्रीज) द्वारा उनको स्वीकृत दो खनन पट्टों (संख्या 6/99 एवं 15/03) से 4,045 मैट्रिक टन सोप स्टोन का, खनन योजना को अनुमोदित कराये बिना, उत्खनन एवं निर्गमन किया गया। फिर भी खनि अभियन्ता द्वारा अवैध रूप से उत्खनित खनिज की कीमत राशि ₹ 22.08 लाख की मांग कायम नहीं की गयी।

इसके अतिरिक्त, एक खनन पट्टाधारी (मै. उषा लाईम एण्ड सीमेन्ट प्रा0 लि0) द्वारा अवधि 2005-10 के दौरान खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार 14,610 मैट्रिक टन डोलोमाईट एवं 4,566 मैट्रिक टन सबग्रेड सोप स्टोन जिसकी कीमत ₹ 69.72 लाख थी, को पृथक रूप से संग्रहित नहीं किया गया।

प्रकरण मार्च 2013 में विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2013) कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई 2012 के अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र में से प्रधान खनिज का खनन करना अवैध नहीं माना जा सकता। खनिज डोलोमाईट के पृथक संग्रहण न करने के संदर्भ में यह बताया कि डोलोमाईट का संग्रहण पट्टा क्षेत्र में किया जा रहा है एवं इसके सम्बन्ध में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा इसका सत्यापन किया जायेगा।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई 2012 का प्रभाव इसके जारी होने के बाद के लिये था तथा खनन योजना के अनुमोदन के बिना खनन क्षेत्र से खनिज निगर्मन करने हेतु रवन्ना जारी करना अनियमित था। डोलोमाईट के संग्रहण हेतु की गई जांच के सन्दर्भ में प्राप्त जवाब भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खनन पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत (मार्च 2011) खनन योजना से यह स्वत: स्पष्ट है कि डोलोमाईट के साथ-साथ लो ग्रेड सोप स्टोन को वेस्ट में डम्प किया गया।

7.7.3 अधिक अधिशुल्क संग्रहण संविदा (ईआरसीसी)/अधिशुल्क संग्रहण संविदा (आरसीसी) का निष्पादन

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 32 से 37 में ईआरसीसी/आरसीसी के प्रावधान निहित हैं। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 33ए में ईआरसीसी/आरसीसी के लिये ठेके आमंत्रित करने हेतु आरक्षित दर निर्धारित करने का प्रावधान है। नियम 35(ix) के अनुसार निविदा खोलने वाली समिति द्वारा निविदा दाताओं द्वारा प्रस्तुत अधिकतम वैध प्रस्ताव का अन्तरिम रूप से चयन किया जायेगा। नियम 35(xii) के अनुसार सक्षम अधिकारी को चयनित निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार होगा।

7.7.3.1 खनि अभियन्ता, करौली के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह ध्यान में आया (फरवरी 2013) कि एक अधिक अधिशुल्क संग्रहण का ठेका मै. शिवा कॉरपोरेशन (इण्डिया) लि0 को करौली जिले में स्थित खनिज सेण्डस्टोन के पट्टों के लिये वार्षिक ठेका राशि ₹ 3.90 करोड़, जो कि बाद में ₹ 10.61 करोड़ पर संशोधित (11 जनवरी 2011) हुआ, 23 मई 2009 से 31 मार्च 2011 के लिये दिया गया। यद्यपि ठेका दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त होना था, तब भी विभाग द्वारा समय पर नये ठेके आवंटित करने के लिये प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की। परिणामस्वरूप, 1 अप्रेल 2011 से 21 जून 2011 तक विभाग द्वारा स्वयं का स्टाफ चैक पोस्ट पर लगाकर ₹ 1.45 करोड़ की अधिशुल्क की वसूली की। ठेके को (21 जून 2011) अन्तिम रूप दिया गया तथा मै. धर्मेन्द्र सिंह को 22 जून 2011 से 31 मार्च 2013 की अवधि के लिये वार्षिक ठेका राशि ₹ 8.61 करोड़ पर आवंटित (22 जून 2011) किया गया।

यह देखा गया कि विभाग द्वारा 82 दिवस में (1 अप्रेल 2011 से 21 जून 2011) तक अधिशुल्क की राशि वसूली की गयी जो कि मै. धर्मेन्द्र सिंह को स्वीकृत वार्षिक ठेका राशि ₹ 8.61 करोड़ की आनुपातिक तुलना में ₹ 48.73 लाख कम थी। अत: निविदा प्रक्रिया में की गयी देरी के परिणामस्वरूप ₹ 48.73 लाख कम वसूली हुई।

प्रकरण मार्च 2013 में विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने (दिसम्बर 2013) अवगत कराया कि खनि अभियन्ता कार्यालय ने आरक्षित दर ₹ 10.80 करोड़ रखने के प्रस्ताव दिनांक 13 जनवरी 2011 को भिजवाये थे। यह भी बताया गया कि दिनांक 28 जनवरी 2011 को निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा ₹ 10.80 करोड़ आरक्षित दर अनुमोदित कर दी गयी। लेकिन राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 33ए में संशोधन होने के कारण आरक्षित दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि ओर होनी थी। निदेशक द्वारा उसके अनुरूप आरक्षित दर को ₹ 11.67 करोड़ संशोधित की, जिस पर आरक्षित दर बहुत अधिक होने के कारण कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। आरक्षित दर पांच बार संशोधित की गयी एवं अन्त में ₹ 8.51 करोड़ निर्धारित की गयी तथा इस कारण ठेका समय पर प्रभावी नहीं हुआ।

7.7.3.2 कार्यालय निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान के ईआरसीसी/आरसीसी ठेके पत्रावलियों की मापक जांच में पाया गया (जनवरी 2013) कि तहसील गिरवा, मावली, वल्लभनगर और सलूम्बर (जिला उदयपुर) के राजस्व क्षेत्र से निकलने वाले खनिज बजरी पर देय अधिशुल्क एवं अनुमति शुल्क की राशि दो वर्ष (2010-12) की अवधि के लिये वसूली हेतु, अधिशुल्क वसूली ठेके के लिये निविदा आंमत्रित की गयी। निविदा समिति द्वारा ₹ 2.10 करोड़ की आरक्षित दर के मुकाबले एक ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की उच्चतम निविदा राशि ₹ 2.52 करोड़ प्रतिवर्ष को चयनित (17 फरवरी 2010) किया गया। ठेकेदार के द्वारा नियम 32 से 35 के सभी प्रावधानों का पालन भी कर दिया गया। तद्नुसार खनि अभियन्ता/अधीक्षण खनि अभियन्ता द्वारा कार्य देने के लिये ठेकेदार के नाम की सिफारिश निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग से की गयी। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा नियम 35(xii) के प्रावधानों के अन्तर्गत निविदा को इस आधार पर निरस्त (9 मार्च 2010) कर दिया गया कि खनि अभियन्ता/अधीक्षण खनि अभियन्ता द्वारा निर्धारित आरक्षित दर की गणना सही नहीं की गयी, जिसके परिणामस्वरूप निविदा के लिये आरक्षित दर कम रही। निदेशालय में एक नई फर्म जिसने निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था, से एक नया प्रस्ताव (25 फरवरी 2010) राशि ₹ 2.70 करोड़ का प्राप्त हुआ। निदेशक द्वारा (8 मार्च 2010) आरक्षित दर ₹ 2.70 करोड़ रखते हुये पुनः निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये।

ठेकेदार द्वारा निदेशालय के आदेश दिनांक 9 मार्च 2010 के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान (एकल पीठ) में अपील की गयी। माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने निदेशक को आदेश (26 मई 2011) दिया कि अधिशुल्क संग्रहण ठेका, ठेकेदार को आवंटित करे क्योंकि उसकी निविदा वैध थी। सरकार द्वारा एकल पीठ के आदेश (26 मई 2011) के खिलाफ द्विसदस्यीय पीठ में अपील (22 दिसम्बर 2011) की गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा (22 अगस्त 2012), ठेकेदार द्वारा अपना प्रकरण वापस ले लिये जाने के कारण निविदा प्रक्रिया पर लगाया गया स्थगन निरस्त कर दिया गया।

ठेके सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया कि कम आरक्षित दर निर्धारण करने के निदेशक द्वारा अभिलिखित कारण तथ्यों पर आधारित नहीं थे क्योंकि आरक्षित दर निदेशालय के पत्र दिनांक 8 जनवरी 2010 के अनुसार निर्धारित की गई थी। इसलिये निदेशालय द्वारा लिया गया निर्णय सही नहीं था जिसके परिणामस्वरूप दो वर्ष से अधिक समय की अवधि तक ठेका प्रारंभ नहीं हो सका। इसके फलस्वरूप विभाग द्वारा 2010-12 की अवधि के लिये अस्थायी रूप से चयनित ₹ 7.86 करोड़ की निविदा की तुलना में ₹ 5.40 करोड़ की अधिशुल्क की प्राप्ति हुई। जिसका परिणाम ₹ 2.46 करोड़ के राजस्व के नुकसान के रूप में हुआ।

प्रकरण फरवरी 2013 में विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने (अक्टूबर 2013) बताया कि विभाग द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय इसलिये लिया गया क्योंकि एक अन्य कम्पनी के द्वारा उच्चतम ठेका राशि ₹ 2.51 करोड़ के मुकाबले ₹ 2.70 करोड़ का प्रस्ताव ठेका स्वीकृत करने से पूर्व दिया गया था। इसलिये अधिकतम राजस्व प्राप्त करने एवं सैद्धान्तिक हानि को रोकने के लिये ठेका स्वीकृत नहीं किया गया।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि निदेशालय द्वारा उच्चतम वैध प्रस्ताव की निविदा को निरस्त करना सही एवं न्यायोचित नहीं था। जिसके कारण ₹ 2.46 करोड़ की हानि हुई।

7.7.3.3 खनि अभियन्ता, कोटा के अभिलेखों की मापक जांच में यह देखा गया (जून 2012) कि जिला बूंदी की तहसील इन्द्रगढ़ एवं नैनवा में स्थित खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर मे अधिक अधिशुल्क संग्रहण के एक ठेके की, वार्षिक ठेका राशि ₹ 1.35 करोड़ पर संविदा निष्पादन की दिनांक से 31 मार्च 2013 तक की अवधि के लिये 29 सितम्बर 2011 को सिफारिश की। यह सिफारिश उसी ठेकेदार के पक्ष मे की गयी जिसके पक्ष में पूर्व का ठेका, जिसकी ठेका राशि ₹ 1.96 करोड़ थी, मासिक किस्तों के समय पर जमा नहीं कराने के कारण समाप्त करना (19 जुलाई 2011) पड़ा था। उक्त ठेके को स्वीकृत करने के प्रस्ताव 23 मई 2012 तक निदेशालय में अनिर्णित रहे।

यह पाया गया कि ठेके के सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेने के कारण विभाग द्वारा 1 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2012 तक स्वयं के चैक पोस्ट लगाये गये एवं राशि ₹ 22.89 लाख के अधिशुल्क की वसूली की गयी। अन्त में अगस्त 2012 में ठेका ₹ 1.35 करोड़ पर दूसरे ठेकेदार को आवंटित किया गया।

यदि विभाग समय पर निर्णय लेता तो उच्चतम निविदा राशि ₹ 1.35 करोड़ पर आधारित आनुपातिक राशि की तुलना में अधिशुल्क राशि ₹ 52.00 लाख की वसूली कर सकता था।

सरकार ने बताया कि (दिसम्बर 2013) जिस ठेकेदार द्वारा पिछली बार चूक करने पर राजस्व की हानि हुई, के बारे में यह कहना मुश्किल था कि वह दोबारा पीछे नहीं हटेगा। यह भी बताया गया कि जनलेखा समिति के माननीय अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि इस प्रकार की घटना के पुनर्घटित होने से रोकने के लिये चूककर्ता

ठेकेदारों की ब्लैक लिस्टिंग के प्रावधान किये जाने चाहिये थे तथा उक्त सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण सरकार को भेजा गया, जहां से (11 मई 2012) ठेके को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया कि साधनों की कमी के कारण विभागीय चैक पोस्टों द्वारा संग्रहित किया गया अधिशुल्क उतना प्रभावी नहीं रहता, जितना कि ठेकेदार द्वारा संग्रहित किया गया अधिशुल्क।

जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निविदा के निरस्तीकरण का निर्णय लेने में सारभूत विलम्ब हुआ, जिसकी परिणति राजस्व की हानि के रूप में हुई।

7.7.4 खनन पट्टों का अनियमित हस्तान्तरण

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 11(2) के अनुसार कोई व्यक्ति अनुसूची-iii में एक या एक से अधिक पट्टे को सम्मिलित करते हुये निर्धारित खनिज या खनिजों के समूह के खनन पट्टे, कुल क्षेत्र 10 वर्ग किमी से अधिक नहीं रखेगा। अधिकतम खनन पट्टे की संख्या किसी भी एक खनिज के लिये किसी भी खनि अभियन्ता के क्षेत्राधिकार में दो एवं सम्पूर्ण राज्य में तीन से अधिक नहीं होगी। यह भी प्रावधान है कि यदि सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में, कारणों को अभिलिखित करते हुये, दो या तीन से अधिक या कवरिंग क्षेत्र 10 किमी से अधिक हो, जैसा भी मामला हो, पट्टे दे सकेगी।

नियम 72 के अनुसार कोई भी खननपट्टा, खदान अनुज्ञप्ति, अल्पावधि अनुमति पत्र या अन्य कोई अनुमति इन नियमों के प्रावधानों के अन्यथा स्वीकृत नहीं किया जायेगा और यदि स्वीकृत किया जाता है तो वह निष्प्रभावी एवं निरर्थक होगा।

नियम 48 में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति विधिक प्राधिकार के बिना कोई खनिज किसी भूमि से उत्खनित करता है तथा ऐसा खनिज निर्गमित या उपभोग कर लिया जाता है तो, सम्बन्धित प्राधिकारी ऐसे उत्खनित खनिज या अधिवासित भूमि पर देय किराया, अधिशुल्क या कर के साथ-साथ खनिज की कीमत वसूल कर सकेगा। खनिज की कीमत प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के दस गुणा के बराबर होगी।

कार्यालय खनि अभियन्ता, जयपुर के अभिलेखों की मापक जाँच में यह ध्यान में आया (दिसम्बर 2012) कि खनिज चुनाई पत्थर के दो खनन पट्टे (संख्या 47/90 एवं 275/02) एक पट्टाधारी को स्वीकृत थे। जबकि अतिरिक्त निदेशक (खान), जयपुर के निर्देशों से पट्टाधारी के पिताजी को स्वीकृत दो अन्य खनन पट्टे (संख्या 88/95, एवं 334/97) म्यूटेशन (22 जून 2009) के द्वारा पट्टेधारी को हस्तान्तरित (7 मई 2010) किये गये।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 11(2) एवं 72 के प्रावधानों के अनुसार हस्तान्तरित दो अन्य खनन पट्टों (संख्या 88/95 एवं 334/97) को निष्प्रभावी एवं निरर्थक माना जाना था। इसलिये पट्टेधारी के आधिपत्य में खनन पट्टा संख्या 88/95 एवं 334/97 से जुलाई 2009 से मार्च 2012 तक राशि ₹ 61.22 लाख कीमत का उत्खनित 32,827 मैट्रिक टन खनिज अवैध था।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जनवरी 2013) किया गया, सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2013) कि उत्तराधिकार के रूप में हस्तान्तरित होने पर दो खनन पट्टों वाला प्रतिबंध लागू नहीं होता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी खनि अभियन्ता के प्रत्यक्ष नियत्रंण में दो खनन पट्टों से अधिक की स्वीकृति के लिये सरकार की विशेष स्वीकृति की आवश्यकता थी। आगे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अवधि 2008-09 के एक इसी प्रकार के प्रकरण में जनलेखा समिति ने अपने 254वें प्रतिवेदन में विभाग को विधिक राय लेने का निर्देश (12 अगस्त 2013) जारी किये। प्रकरण में विधिक राय से अवगत नहीं कराया गया।

7.7.5 वैध प्राधिकार के बिना खनिज मार्बल का उत्खनन एवं निर्गमन

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर 2008 के द्वारा बापी पट्टों को खदान अनुज्ञप्ति में बदलने की प्रक्रिया को प्रकाशित किया। बापी पट्टाधारकों को उनके पट्टों को नियमित करने के लिये अधिसूचना दिनांक से 30 दिवसों के भीतर आवेदन करना था। पट्टाधारक द्वारा आवेदन नहीं करने या ऐसा आवेदन सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किये जाने पर, विभाग द्वारा खनन पट्टाक्षेत्र का कब्जा अपने अधिकार में लेना था। इसके अतिरिक्त राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 64 के अन्तर्गत खनन कार्य को अवैध मानते हुये नियम 48 के तहत कार्यवाही भी की जानी थी।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 64 के अनुसार जब तक सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय ने घोषित न किया हो सरकार किसी व्यक्ति द्वारा खनिज युक्त भूमि, खदान के लिये किसी भूमि पर बापी पट्टा या पैतृक अधिकार को मान्यता नहीं देगा।

नियम 48 में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति विधिक प्राधिकार के बिना कोई खनिज किसी भूमि से उत्खनित करता है तथा ऐसा खनिज निर्गमित या उपभोग कर लिया जाता है तो, सम्बन्धित प्राधिकारी ऐसे उत्खनित खनिज या अधिवासित भूमि पर देय किराया, अधिशुल्क या कर के साथ-साथ खनिज की कीमत वसूल कर सकेगा। खनिज की कीमत प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के दस गुणा के बराबर होगी।

खनि अभियन्ता, मकराना के अभिलेखों की मापक जाँच में यह पाया कि (अक्टूबर 2012) अवधि 2011-12 में 49 बापी पट्टा[1] धारकों द्वारा 66,307.78 मैट्रिक टन मार्बल का उत्खनन एवं निर्गमन किया जिसकी कीमत ₹ 10.87 करोड़ होती है, जबकि इन्होंने अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार बापी पट्टों को नियमित करने के लिये निर्धारित समय में आवेदन नहीं किया। खनि अभियन्ता द्वारा बापी पट्टाधारकों से पट्टा क्षेत्र का कब्जा नहीं लिया। जिसके परिणामस्वरूप वे लगातार अवैध रूप से खनन कार्य करते रहे।

प्रकरण नवम्बर 2012 में विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने अवगत कराया (जनवरी 2014) कि बापी पट्टों का नियमितिकरण विचाराधीन था और नियमितिकरण के लिये बापी पट्टों के आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके थे। यह भी कहा गया कि बापी पट्टा क्षेत्र से उत्खनित खनित पर देय अधिशुल्क की राशि विभाग द्वारा वसूल की जा चुकी है। तथ्य यह रहते हैं कि खनिज का अवैध रूप से उत्खनन किया गया एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के अन्तर्गत कब्जेधारियों से अधिशुल्क की राशि के साथ खनिज की कीमत भी वसूली की जानी चाहिये थी।

7.7.6 ग्रेनाईट पर मांग कायमी में कमी/का अभाव

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 48(1) एवं (5) के अनुसार कोई भी व्यक्ति खनन कार्य नहीं करेगा जब तक उसे इन नियमों के तहत अनुमति प्राप्त ना हो। जब कोई व्यक्ति विधिक प्राधिकार के बिना कोई खनिज किसी भूमि से उत्खनित एवं निर्गमन करता है तो, सम्बन्धित सहायक खनि अभियन्ता/खनि अभियंता खनिज की कीमत के साथ-साथ प्रचलित दर से अधिशुल्क वसूल कर सकेगा। खनिज की कीमत प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के दस गुणा के बराबर होगी।

खनि अभियन्ता, सिरोही के अभिलेखों की मापक जांच में यह ध्यान में आया (अक्टूबर 2012) कि खनिज ग्रेनाईट के अनधिकृत उत्खनन एवं निर्गमन के दो प्रकरणों में मांग कम आरोपित की गयी चूंकि खनिज की कीमत अधिशुल्क की 10 गुणा के बराबर ही वसूलने पर विचार किया गया लेकिन मांग आदेश में अधिशुल्क की राशि ₹ 47.76 लाख को छोड़ दिया गया एवं एक प्रकरण में राशि ₹ 94.77 लाख अनुमोदन के अभाव में मांग बकाया थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.43 करोड़ की कम मांग कायमी/मांग कायमी का अभाव रहा।

[1] भूमि पर खनन के पैतृक अधिकार

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (नवम्बर 2012) किया गया। सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2013) कि खनिज की वसूली योग्य कीमत, किराये, अधिशुल्क अथवा कर के 10 गुणा के बराबर ही होती है, इसलिये मांग कायमी सही थी। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार खनिज की कीमत के अतिरिक्त अधिशुल्क राशि भी वसूली योग्य थी।

7.7.7 प्रधान खनिज का अवैध रूप से भण्डारण करने पर अधिशुल्क आरोपण का अभाव

राजस्थान खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2007 के नियम 3 एवं 11 के अनुसार कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन व्यवहारी के रूप में पंजीकृत हुए बिना खनिज या खनिजों/अयस्कों को खरीदने, बेचने, भण्डारण करने, वितरण करने या प्रसंस्करण करने का प्रत्यक्ष या अन्यथा या खनिज/खनिजों और/या उनके संघटकों का कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग नहीं करेगा। जब कोई भी इन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

अधिनियम की धारा 21(5) के अनुसार जब खनिज का निर्गमन/उत्खनन अवैध रूप से होने पर चूककर्ता से खनिज की कीमत मय अधिशुल्क के साथ वसूली योग्य होगी।

कार्यालय खनि अभियन्ता, जोधपुर के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह ध्यान में आया (जुलाई 2012) कि खनि अभियन्ता के द्वारा दो फर्मों के निरीक्षण (6 मार्च 2011) के दौरान खनिज जैस्पार का अवैध भण्डारण पाया। खनि अभियन्ता द्वारा दोनों फर्मों को अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिये चेतना पत्र जारी किये। अभिलेखों की जांच एवं क्रेशर की क्षमता और बिजली के उपयोग के आधार पर खनिज जैस्पार की निर्धारित कीमत ₹ 1.02 करोड़ की मांग कायम के प्रकरण अनुमोदन के लिये खनि अभियन्ता द्वारा (12 सितम्बर 2011) अधीक्षण खनि अभियन्ता, जोधपुर को भेजे गये। अधीक्षण खनि अभियन्ता द्वारा 18 अक्टूबर 2011 को मांगों का अनुमोदन किया। मांग पत्रों की जांच करने पर यह पाया कि खनि अभियन्ता द्वारा 10 प्रतिशत की दर से खनिज पर देय अधिशुल्क को सम्मिलित नहीं किया गया जो कि ₹ 10.21 लाख होती है।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त 2012 से अगस्त 2013 के मध्य) किया गया। सरकार ने अवगत कराया कि (दिसम्बर 2013) वसूली योग्य राशि की कायम मांग अधिक थी। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत खनिज की कीमत अधिशुल्क सहित वसूलनीय थी।

7.7.8 अधिशुल्क के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अनुसार खनन पट्टाधारी या उसके एजेन्ट, मैनेजर, कर्मचारी, ठेकेदार या उप-पट्टेधारी द्वारा किसी खनिज को खनिज क्षेत्र से हटाने या उपयोग करने पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के परिशिष्ठ 2 में वर्णित दर से खनिज पर देय अधिशुल्क का भुगतान करेगा।

खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 64 के अनुसार खनन पट्टेधारी को विलम्ब से भुगतान करने पर नियत तिथि के 60 वें दिन से 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से सरल ब्याज का भुगतान करना होगा।

7.7.8.1 खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया (जून 2012) कि मै. मंगलम सीमेण्ट के पक्ष में चूना पत्थर के लिये एक खनन पट्टा (संख्या 2/1976) स्वीकृत था। अधिशुल्क निर्धारण आदेश की जांच में यह पाया कि पट्टाधारी द्वारा अवधि 21 फरवरी 1995 से 21 फरवरी 2002 के लिये पुनः निर्धारण आदेश की पालना में, अधिशुल्क की राशि ₹ 1.60 करोड़ प्रोटेस्ट के अन्तर्गत जमा करायी। यह ध्यान में आया कि विभाग द्वारा अधिशुल्क निर्धारण आदेश (16 जून 2004) की दिनांक से विलम्ब अवधि के लिये ब्याज की गणना ₹ 2.81 करोड की, जबकि निर्धारण वर्ष की समाप्ति के 60वें दिन से ब्याज की गणना की जानी थी। इस प्रकार अधिशुल्क आदेश की दिनांक से ब्याज की गणना करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.71 करोड़ की कम मांग कायम हुई।

प्रकरण जुलाई 2012 से अगस्त 2013 के मध्य विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने (नवम्बर 2013) अवगत कराया कि विभाग द्वारा पहले से ही अन्तर अधिशुल्क राशि ₹ 1.60 करोड़ मांग कायम करदी थी जिसके विरूद्ध पट्टाधारी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका (एस.बी. सिविल रिट नं. 4597/2004) दायर की। तथ्य यह है कि विभाग द्वारा ब्याज की गणना पुनः निर्धारण आदेश से की गयी, जबकि ब्याज की गणना सम्बन्धित वर्ष की समाप्ति के 60वें दिन से की जानी थी।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 33डी (2) के अनुसार वार्षिक ठेका राशि की मासिक/त्रैमासिक किश्त का भुगतान निर्धारित तिथि से पूर्व अग्रिम जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि तक मासिक/त्रैमासिक किश्त का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसे मामलों में 15 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान देय तिथि से करना पड़ेगा।

नियम 62 में प्रावधान है कि सरकार ऐसी बकाया की वसूली के लिये प्रचलित सम्बन्धित नियमों के अन्दर कोई स्थिर भाटक, अधिशुल्क, खदान शुल्क, अधिशुल्क संग्रहण ठेका राशि, खनिज की कीमत, शास्ति और अन्य प्रकार की देयता से सम्बन्धित कोई देयता की वसूली कर सकती है।

7.7.8.2 खनि अभियन्ता, सोजत सिटी के अभिलेखों की मापक जांच में यह ध्यान में (सितम्बर 2012) आया कि तहसील देसूरी से निर्गमित खनिज बजरी के लिये एक अधिशुल्क संग्रहण ठेका अवधि 1 अप्रेल 2010 से 31 मार्च 2012 के लिये स्वीकृत था। अभिलेखों की जांच में पाया कि ठेकेदार ने अवधि 1 अप्रेल 2010 से नवम्बर 2011 के मध्य किश्तों के भुगतान में 14 से 300 दिवसों का विलम्ब किया एवं दिसम्बर 2011 से मार्च 2012 तक मासिक किश्तों का भुगतान नहीं किया। खनि अभियन्ता द्वारा न तो अदत्त मूल राशि ₹ 10.90 लाख एवं ब्याज की राशि ₹ 2.98 लाख की मांग कायम की और न ही ठेके को खण्डित करने की कार्यवाही प्रारंभ की।

प्रकरण नवम्बर 2012 एवं जुलाई 2013 के मध्य विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने अवगत (नवम्बर 2013) कराया कि संशोधित ठेका राशि ₹ 15.25 लाख एवं ब्याज ₹ 2.98 लाख की मांग कायम कर दी, जिसमें से ₹ 8.99 लाख वसूल किये जा चुके हैं।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 61 के अनुसार स्थिर भाटक, अधिशुल्क, खदान अनुज्ञप्ति शुल्क एवं आरसीसी/ईआरसीसी राशि से सम्बन्धित देयता पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूली योग्य है।

7.7.8.3 खनि अभियन्ता, जयपुर के ईट-मिट्टी अनुमति पत्रों की मांग पंजिका की मापक जांच में यह ध्यान में (दिसम्बर 2012) आया कि 64 ईट-मिट्टी के अनुमति पत्र धारकों द्वारा 1 से 546 दिवस के मध्य देरी से भुगतान करने पर ब्याज की राशि ₹ 9.36 लाख की मांग कायम नहीं की।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को अक्टूबर 2013 में प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने अवगत (जनवरी 2014) कराया कि सभी 64 प्रकरणों में मांग कायम कर दी एवं 57 प्रकरणों में ₹ 8.26 लाख वसूल किये

गये। यह भी बताया गया कि बाकी प्रकरणों में वसूली के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

7.7.9 वन क्षेत्र में खनन पट्टों की अनियमित स्वीकृति

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 4(6) के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार की बिना सहमति के वन्य क्षेत्र में कोई भी खनन पट्टा स्वीकृत या नवीनीकृत नहीं किया जावेगा। नियम 72 के अनुसार कोई भी खनन पट्टा, खदान अनुज्ञप्ति, अल्प अवधि अनुमति पत्र इन नियमों के प्रावधानों के अन्यथा स्वीकृत नहीं किया जायेगा और यदि स्वीकृत किया जाता है तो वह निष्प्रभावी एवं निरर्थक होगा।

इन नियमों के नियम 48(1) एवं (5) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत बिना खनन कार्य नहीं करेगा। जब कोई व्यक्ति, विधिक प्राधिकार के बिना, कोई खनिज किसी भूमि से उत्खनित करता है और ऐसे उत्खनित खनिज का पहले ही उपयोग कर लिया जाता है तो, सम्बन्धित सहायक खनि अभियन्ता/खनि अभियन्ता खनिज की कीमत अधिशुल्क सहित वसूल कर सकेगा।

कार्यालय खनि अभियन्ता, करौली के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्देशों के अन्तर्गत खनिज चुनाई पत्थर के 9 खनन पट्टों को निरस्त किया गया क्योंकि वे वन क्षेत्र में स्थित थे। जैसा कि वन क्षेत्र में खनन पट्टों का आवंटन प्रतिबंधित था, इसलिये खनन पट्टों का आवंटन एवं उनसे उत्खनन अवैध था, फलतः कीमत मय अधिशुल्क की राशि वसूली योग्य थी। जबकि खनि अभियन्ता द्वारा मांग कायम नहीं की गयी। इन खनन पट्टों से उत्खनित एवं निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर की कीमत ₹ 46.36 लाख थी।

प्रकरण मार्च एवं जुलाई 2013 के मध्य विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने अवगत (नवम्बर 2013) कराया कि (1) खनन पट्टों को भू-राजस्व विभाग एवं वन विभाग से अनापत्ति के पश्चात स्वीकृत किया गया था और खनन पट्टा क्षेत्र राजस्व भूमि का भाग था। (2) वन विभाग द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करने के कारण खनन पट्टा वन क्षेत्र में स्वीकृत किया गया। अतः वन विभाग की गलती थी ना कि खान विभाग की। (3) यहां राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 72 का उल्लघंन था, ना की नियम 48(1) एवं 48(5)का। अतः स्वीकृत खनन पट्टों के क्षेत्र से किया गया उत्खनन अवैध नहीं माना जा सकता।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि इन नियमों के विपरीत कोई खनन पट्टा या खदान अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है तो वह निरर्थक एवं निष्प्रभावी मानी जानी थी।

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ ने खनन पट्टों की स्वीकृति निरर्थक एवं निष्प्रभावी तथा खनन पट्टों से उत्खनित खनिज को अनधिकृत घोषित किया। अत: ऐसी भूमि से उत्खनित एवं उपयोगित खनिज के लिये दण्डनीय प्रावधान लागू होने थे। इस प्रकार सरकार को ₹ 46.36 लाख के राजस्व की हानि हुई।

7.7.10 लोक निर्माण ठेकेदारों द्वारा खनिज का अनधिकृत उत्खनन व उपयोग

सरकार के आदेश दिनांक 8 अक्टूबर 2008 के अनुसार लोक निर्माण ठेकेदार, निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता से कार्य में उपयोग किये जाने वाले खनिजों के लिए अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त करेगा। अल्पावधि अनुमति पत्र के बिना निर्माण कार्य में खनिज का उपयोग किये जाने के मामले मे सम्बन्धित निर्माण विभाग, बिना अल्पावधि अनुमति पत्र के उपयोग में लिए गये खनिज की कीमत जमा कराने के लिए उत्तरदायी हैं।

अल्पावधि अनुमति पत्र की अवधि पूरा होने के 15 दिनों के भीतर ठेकेदार, कार्य में वास्तविक उपयोग में लिये गये एवं अल्पावधि अनुमति पत्र में अधिकृत मात्रा दर्शाते हुए, खनिजों के अधिशुल्क निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत करेगा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 63 के अनुसार उत्खनित व उपयोग में ली गयी खनिज की मात्रा, अल्पावधि अनुमति पत्र में स्वीकृत मात्रा से 25 प्रतिशत से अधिक हो तो उपयोग में लाये गये खनिज की सम्पूर्ण अधिक मात्रा की कीमत वसूल की जावेगी। इन नियमों के नियम 48 के अनुसार खनिज की कीमत संदेय अधिशुल्क की दस गुना होगी।

7.7.10.1 खनि अभियन्ताओं/सहायक खनि अभियन्ताओं के 11 कार्यालयों में संधारित लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को जारी अल्पावधि अनुमति पत्र तथा कार्य आदेश की 'जी' शिड्यूल[2] के प्रति सत्यापन में, यह ध्यान में आया (जुलाई 2012 से मार्च 2013) कि 106 निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों में खनिज चुनाई पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, ग्रेवल आदि का उत्खनन/उपयोग या तो अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त किये बिना अथवा अल्पावधि अनुमति पत्र में स्वीकृत मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक किया गया। अवैध रूप से उत्खनित खनिज की कीमत राशि ₹ 6.21 करोड़ संगणित की गई, जो सम्बन्धित ठेकेदारों से वसूल नहीं की गई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को (मार्च 2013) प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने अवगत (दिसम्बर 2013) कराया कि सम्बन्धित विभागों से

[2] लागत का सारांश।

उपयोग में ली गई मात्रा का विवरण एसटीपी के साथ मंगवायी गयी है, उसके आधार पर वास्तविक उपयोग में लिये खनिज की मात्रा एवं उस पर देय अधिशुल्क की गणना की जावेगी।

7.7.10.2 चार खनि अभियन्ता कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जाँच में यह ध्यान में आया (जून 2012 से फरवरी 2013) कि सार्वजनिक निर्माण ठेकेदारों द्वारा सम्बन्धित खनि अभियन्ता कार्यालयों से अल्पावधि अनुमति पत्रों को प्राप्त किये बिना खनिज का उत्खनन कर निर्माण कार्यों में उपयोग किया। ऐसे खनिज पर देय अधिशुल्क की राशि को सम्बन्धित विभाग द्वारा कटौती की जाकर कर सम्बन्धित मद में जमा कराना था। राज्य सरकार के परिपत्र (8 अक्टूबर 2008) एवं नियम 63 के अन्तर्गत ऐसे मामलों में जहां ठेकेदार ने बिना अल्पावधि अनुमति पत्र के खनिज को उत्खनित किया व उपयोग में लिया हो, सम्बन्धित विभाग एकल अधिशुल्क राशि के बजाय खनिज की कीमत वसूलने के लिये जिम्मेदार होगा। आगे खनि अभियन्ताओं द्वारा राशि वसूली के लिये उचित कार्यवाही करनी चाहिये थी जो कि नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शाये अनुसार खनिज की कीमत राशि ₹ 49.01 लाख की कम प्राप्ति हुई:

(₹ लाख में)

कार्यालय का नाम	वसूल की गई एकल अधिशुल्क की राशि	खनिज की कीमत (अधिशुल्क की दस गुना)	वसूली योग्य राशि
खनि अभियन्ता, अलवर	1.18	11.83	10.65
खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़	1.82	18.22	16.40
खनि अभियन्ता, मकराना	1.84	18.40	16.56
खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी	0.64	6.00	5.40
योग	**5.44**	**54.45**	**49.01**

प्रकरण मार्च 2013 में विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2013) कि क्षेत्रीय प्रबन्धकों, राजस्थान विनिवेश एवं औद्योगिक निगम (रीको), अलवर एवं भिवाड़ी-II (अलवर) तथा नगरीय सुधार ट्रस्ट, चित्तौड़गढ़ को राशि जमा करवाने के लिये पत्र जारी कर दिये गये हैं, जिनकी पालन नहीं करने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह भी बताया गया कि रीको भिवाड़ी-I (अलवर) से ₹ 16,704 की वसूली कर ली गयी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकरण में खनिज उपभोग विवरणी के अनुसार खनिज की लागत की गणना नहीं की गयी थी।

7.7.11 अनधिकृत रूप से निर्गमित खनिज की कीमत के स्थान पर एकल अधिशुल्क की वसूली

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 18(9) के अनुसार पट्टेधारी अथवा अन्य कोई व्यक्ति बिना रवन्ना के खान तथा खदान से खनिज को नहीं हटायेगा अथवा निर्गमित या उपयोग में नहीं लायेगा। इन नियमों के नियम 48(5) में प्रावधान है कि जब भी कोई व्यक्ति बिना विधिक प्राधिकार के खनिज निकालता है तो अधिशुल्क के साथ खनिज की कीमत जो कि तत्समय लागू अधिशुल्क की 10 गुणा होगी, वसूल की जावेगी। नियम 37(2) के प्रावधानों के तहत फार्म 10 में अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका हेतु निष्पादित दस्तावेज के अनुसार, ठेकेदार विभाग की मुद्रा से मुद्रांकित फार्म 12 में जारी रवन्नाओं के बिना खनिज को ले जाने वाले वाहनों से अधिशुल्क की वसूली नहीं करेगा एवं ऐसे वाहनों को विभाग को सुपुर्द करेगा।

कार्यालय खनि अभियन्ता, बून्दी-II के अभिलेखों की मापक जाँच में यह पाया कि खनि अभियन्ता, बून्दी-I एवं II के क्षेत्राधिकार में खनिज सैण्डस्टोन के खनन पट्टे स्वीकृत थे एवं सैण्डस्टोन को निर्गमन करने के लिये रवन्ना जारी किये। मै. पार्थ नेटवर्क प्राईवेट लि0, उदयपुर को अवधि 8 अप्रेल 2010 से 31 मार्च 2012 के लिये वार्षिक ठेका राशि ₹ 9.66 करोड़ पर इन खनन पट्टों के लिये अधिक अधिशुल्क संग्रहण का ठेका आवंटित किया गया। जबकि विभाग द्वारा खान से अपशिष्ठ के रूप में निकलने वाले खनिज चुनाई पत्थर एवं कॉबाल्स के लिये रवन्ना जारी नहीं किये गये। यह ध्यान में आया कि ठेकेदार द्वारा कॉबाल्स (9,21,120 मैट्रिक टन) एवं चुनाई पत्थर (18,260 मैट्रिक टन) ले जा रहे उन वाहनों से अधिशुल्क की राशि ₹ 6.22 करोड़ वसूल किये जिनके पास रवन्ना नहीं थे। जबकि शर्तों के अनुसार उन वाहनों को खनिज की कीमत वसूली के लिये विभाग को सुपुर्द करना था।

आगे यह भी ध्यान में आया कि ठेका खण्डित हो जाने के पश्चात विभाग द्वारा भी दिनांक 14 सितम्बर 2011 से 31 मार्च 2012 तक विभागीय चैक पोस्ट के द्वारा कॉबाल्स (1,657 मैट्रिक टन) एवं चुनाई पत्थर (2,04,537 मैट्रिक टन) ले जा रहे उन वाहनों जिनके पास रवन्ना नहीं थे को जाने दिया गया एवं उनसे एकल अधिशुल्क की राशि ₹ 38.86 लाख वसूल किये।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 48(2) के अनुसार किसी भी खनिज का खनन पट्टा क्षेत्र से बिना रवन्ना के निगर्मन अवैध है। इसलिये खनिज की कीमत ₹ 62.20 करोड़ ठेकेदार से वसूली योग्य थी। इसके अतिरिक्त,

विभाग द्वारा उक्त प्रावधानों की पालना नहीं करने के कारण उसे ₹ 3.88 करोड़ की हानि हुई जबकि विभागीय चैक पोस्ट संचालित थे।

प्रकरण दिसम्बर 2012 में विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया। सरकार द्वारा अवगत (नवम्बर 2013) कराया कि अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके में कॉबाल्स एवं चुनाई पत्थर पर देय अधिशुल्क शामिल था इसलिये इनके लिये पृथक से रवन्ना जारी नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त, विभागीय चैक पोस्ट द्वारा पूर्व की भांति अधिशुल्क वसूली योग्य खनिज चुनाई पत्थर एवं कॉबाल्स पर परमिट फीस वसूली की गयी थी। हालांकि तकनीकी त्रुटि को दूर करने के लिये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियमों में नियम 63ए जोड़ा गया जो कि 14 अक्टूबर 2011 से प्रभावी है, जिसमें कि खनिज कॉबाल्स एवं चुनाई पत्थर पर अधिशुल्क वसूली के लिये अल्पावधि पत्र जारी करने का प्रावधान है।

तथ्य यह रहते हैं कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियमों में नियम 63ए जोडनें के बाद भी विभाग द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित नहीं की गयी।

7.7.12 विभाग की निष्क्रियता के कारण खनिज चुनाई पत्थर का अवैध रूप से उत्खनन एवं निर्गमन

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 48(5) में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति विधिक प्राधिकार के बिना कोई खनिज किसी भूमि से उत्खनित एवं निर्गमन करता है तो, सम्बन्धित खनि अभियंता ऐसे उत्खनित पर देय खनिज के अधिशुल्क के साथ-साथ कीमत वसूल कर सकेगा, जो प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के दस गुणा के बराबर होगा।

अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं खनि अभियन्ता (सतर्कता), जयपुर द्वारा किये गये मौका स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की (मार्च एवं जुलाई 2012) मापक जांच में यह ध्यान में आया कि खनि अभियन्ता, सीकर के क्षेत्र में एक खनन पट्टा संख्या 46/99 रायपुर गांव के पास, तहसील दांतारामगढ़ में खनिज चुनाई पत्थर हेतु दिया गया था। अभिलेखों (जुलाई 2011) की जांच में यह सामने आया कि पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टे के बाहर गेप क्षेत्र से 52,226 मैट्रिक टन खनिज चुनाई पत्थर अवैध रूप मे उत्खनित कर निर्गमित किया गया। फिर भी, खनि अभियन्ता द्वारा खनन पट्टाधारी से खनिज की कीमत राशि ₹ 1.15 करोड़ की मांग कायम नहीं की गई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2013) किया गया। सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2013) कि वसूली की प्रगति से अवगत करा दिया जावेगा।

(एस. आलोक)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक